7/9/16

[illegible]
[illegible] दिनांक 14/9/16 को पेश हो।

14/9/16

अमीन उपखण्ड अधि० बहस सुनी गई व
केसरा डिक्री 1/16 पर पेश हुई अमी
ने व्यक्तिगत दावाकी एक किश्त की स्वीकृति

अमीन उपखण्ड अधि० संक्षिप्त वैकल्पिक प्रकृति इस
प्रमाण है कि प्रार्थियां ने प्रार्थना पत्र कार्यपालि
विशेषतया इस आशय का पेश किया कि भा
ख० 127/1.13 हे० ख० 127/1 रकबा 0.56 हे० ख०
127/2 रकबा 0.57 हे० ख० 128 रकबा रकबा 0.25
बाँध ग्राम खेवरी की साबिक ख० 26/24 मि० हे
बने हैं जो मालपुरा टोडा एनएच रोड पर स्थित
है, यह अटकिंगपत्र एक ही जगह की कब्जे के
पर डिक्री की डोक्यमेंटा के वादी प्रार्थियां
व अप्रार्थी नं० 2 आपिक वाहत रहते भले भ
रहे हैं जिसमें से सीमा की पक्षपात करने की
बाड़ चंग एवं प्रार्थना पत्र के मुताबिक मौके
ABCD नक्शा से दर्शित है। ख० 127/1.13, 127/1 0.56 हे
127/2 हे० 0.57 हे० एवं नि तथा ख० 128 रकबा 0.25 हे
हे० एं नि दर्शित है साबिक ख० 26/24 मि० हे
तसीम शुदा बहत बड़ा रकबा जिसमें से 5 बीघा
5 बिस्वे बावत नि० व्यवहारवाद

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (दौसा)

व्यक्ति काश्त में होने से उनको नेवल के नीलाई प्रोसिजर की हल्का नं० $\frac{127}{1.13}$, $\frac{127/1}{0.57}$, $\frac{127/2}{0.56}$ हे० विक्रय पर प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 को खुर्द बुर्द कर दिया गया था तब से प्रार्थी मालिक काश्त ही करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार जमाबन्दी [illegible] ग्राम सांगी की खतौनी नं० 26/24 में नवीन कृषि भूमि 16/11/70 की आवंटन हुई की गई आवंटन रकबा मिलकर [illegible] किया गया था तथा एक ही नाम से [illegible] की कभी रकबा नहीं मिलाया गया। रकबा नवीन एक गलत आवंटन किया गया था सेटलमेंट विभाग द्वारा नं० 154/153, 156, 157, 158 व 130 को एकसाथ तरमीम किया किन्तु नं० 128 को गलत रूप से दर्ज तरमीम किया गया [illegible] रकबा काश्त नहीं था उक्त गलत तरमीम के आधार पर अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं तथा अप्रार्थी पर उन्होंने [illegible] जबरन कब्जा करने किया जाके [illegible] है।

अप्रार्थी नं. 1 ने जवाबदावा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 2 ने हल्का नं० 127 के आधार पर प्रार्थीगण ने 0.57 हे० व अप्रार्थी नं. 2 ने 0.56 हे० भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि० 25/5/70 से क्रय की गई है तथा अप्रार्थी नं. 1 ने दि० 27/12/80 को नं० 128 क्रय किया है प्रार्थीगण ने हल्का नम्बर जिस रूप से क्रय किया है उसको खतौनी नं० 26/24 की प्रविष्टि को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। सेटलमेंट अधिकारियों ने वर्तमान जिस रूप में मौके पर व्यक्ति काश्त है उसी अनुरूप खातेदारी प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

~~बहस सुनी~~

अधि० प्रार्थीगण ने प्रार्थना के समर्थन में नकल हाल जमाबन्दी सम्वत 2068-71 खसरा नं० 25-310

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी हु...
	अपने प्रा०पत्र जमाबन्दी सांमी अपने शपथ नकल किश्तवार/खेवट नकल सालके एवं हालबीट पेश की गई तथा स्वयं का शपथपत्र पेश किया गया।	

अप्रार्थी नं. 1 की ओर से भी अपने जवाब के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2066-69, 2068-71 विक्रय पत्र दिनांक 27.4.13, व 17.5.10 की छाया प्रतियां पेश की गई।

हमने पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात को देखा विद्वान अभि० उभयपक्ष को सुना तथा उनके द्वारा बहस के दौरान दी गई दलीलों पर गौर किया। प्रस्तुत जमाबन्दीयात एवं विक्रय पत्रों के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण दोनों के द्वारा खातेदारान की भूमि विभाजित क्रय की गई है। जहाँ तक मौके पर कब्जे काश्त का प्रश्न है, यह सारे तथ्य एवं हाल जरिए बयानात साक्ष्य सिद्ध-2 किए जा सकते हैं। यह सारे तथ्य साक्ष्य पर मोहताज हैं और दोनों पक्षों की साक्ष्य के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर तय होता है। इस प्रकरण में मौका रिपोर्ट भी प्राप्त की गई जिसके आधार पर ख०नं० 127/1 127/2 व 128 का दक्षिणी भाग के रूप में खेत बना होना पाया मौके पर काश्त प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 2 द्वारा किया जाना बताया गया। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को मद्देनजर रखते निर्णय तक अन्य कोई विवाद उत्पन्न न हो इस हेतु पूर्व से जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र ...

नम्बर व ता[illegible] अहकाम [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी हु[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर शुमार के बाद नकल हो तफ्तीश मूल वापस रहे [signature] उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक) टोडारायसिंह	